

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार सरकार
वित्त विभाग

बजट 2015-16 के मुख्य आकर्षण

(राशि करोड़ रुपये में)

मर्दाने	2012-13 वास्तविकी	2013-14 वास्तविकी	2014-15 बजट अनुमान	2015-16 बजट अनुमान	वर्ष 2015-16 राजस्व/ पूँजीगत के आय/व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2014-15 बजट अनुमान से परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल राजस्व प्राप्तिर्याँ	59566.66	68918.65	101939.46	103189.06	98.32	-10.94
2 कर राजस्व	48153.47	54789.79	67438.00	81622.58	79.10	21.03
(क) संघीय करों में राज्य का अंश	31900.39	34829.11	41775.05	50747.58	45.24	21.48
(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	16253.08	19960.68	25662.95	30875.00	27.52	20.31
3 राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	1135.27	1544.83	3081.68	3395.86	3.03	10.20
4 केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	10277.92	12584.03	31419.78	18170.63	16.20	-42.17
5 पूँजीगत प्राप्तिर्याँ (6+7+8)	9578.66	9922.12	14743.31	17725.33	104.90	20.23
6 ःणों की वसूली	24.70	15.03	15.97	16.52	0.10	3.44
लोक ःण (7+8)	9553.96	9907.09	14727.34	17708.81	104.81	20.24
7 राज्य सरकार के आंतरिक ःण	9045.94	9357.43	12878.15	14920.13	88.30	15.86
8 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	508.02	549.66	1849.19	2788.68	16.50	50.81
9 कुल प्राप्तिर्याँ (1+5)	69145.32	78840.77	116682.77	120914.40	100.00	9.29
10 आर्योजना भिन्न व्यय	40825.41	46727.61	59231.04	63259.59	100.00	6.80
11 राजस्व खरते पर जिसमें	37573.69	43381.03	55426.51	59054.52	93.35	6.55
12 (क) ब्याज भुगतान	4428.31	5459.04	6581.46	7220.77	12.23	9.71
12 (ख) पेंशन	8363.53	9481.73	11666.33	12979.67	21.98	11.26
12 (ग) वेतन	12874.38	13337.27	18204.75	17757.90	30.07	-2.45
13 पूँजीगत खरते पर (क+ख+ग+घ)	3251.72	3346.58	3804.52	4205.07	6.65	10.53
(क) राज्य का आन्तरिक ःण	2585.23	2558.83	2973.06	3176.63	75.54	6.85
(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	484.72	560.73	589.83	718.65	17.09	21.84
(ग) पूँजीगत व्यय	93.15	117.19	151.00	144.95	3.45	-4.01
(घ) ःण एवं पेशगिर्याँ	88.62	109.83	90.63	164.84	3.92	81.88
14 आर्योजना व्यय	28381.16	33677.56	57655.12	57425.73	100.00	-0.40
(क) राज्य र्योजना	25658.59	30707.27	57392.44	57137.62	99.50	-0.44
(ख) के.प्र.र्यो.+के.र्यो.र्यो.	2722.57	2970.29	262.68	288.11	0.50	9.68
15 राजस्व खरते पर	16892.45	19096.20	36338.92	32153.59	55.99	-11.52
16 पूँजीगत खरते पर	11488.70	14581.35	21316.21	25272.14	44.01	18.56
17 कुल व्यय (10+14)	69206.57	80405.17	116886.16	120685.32	100.00	3.25
18 राजस्व व्यय (11+15)	54466.14	62477.23	91765.43	91208.11	75.58	-0.61
19 पूँजीगत व्यय (13+16)	14740.42	17927.93	25120.73	29477.21	24.42	17.34
20 राजस्व घाटा (18-1)	-5100.52	-6441.42	-10174.03	-11980.95		
21 राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	6545.26	8351.93	11367.84	13584.46		
22 प्राथमिक घाटा (21-12क)	2116.95	2892.89	4786.38	6363.69		
23 जी.एस.डी.पी.	296153	343054	383709	455451		
24 राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.21%	2.43%	2.96%	2.98%		
25 ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तिर्याँ	7.43%	7.92%	6.46%	7.00%		

- **राजस्व बचत :-** राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद अवशेष राशि राजस्व बचत होती है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व बचत 11980.95 करोड़ रुपये का है । इस राजस्व अधिशेष का उपयोग भौतिक अधिसंरचना में निवेश यथा सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजनाएं आदि उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा ।
- **राजकोषीय घाटा :-** कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि घटती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा 13584.46 करोड़ रुपये का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 455451 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है ।
- **पूंजीगत परिव्यय :-** सम्पत्तियों के सृजन/सुदृढीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिव्यय होती है । 2014-15 के बजट अनुमान 21151.35 करोड़ ₹0 से बढ़कर 2015-16 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय 24853.00 करोड़ ₹0 हो गया है । यह 2014-15 के पूंजीगत परिव्यय से 3701.65 करोड़ ₹0 अधिक है ।
- **ऋण प्रबंधन :-** बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के आलोक में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत का रखा जाना है। राजकोषीय घाटे के अन्तर्गत ही ऋण लिया जाना होता है। ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। वर्ष 2015-16 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 455451 करोड़ रुपये के आंकड़े 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर लिये गये हैं । वर्ष 2015-16 के अन्त में लोक ऋण 89239.86 करोड़ रुपया अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 19.59 प्रतिशत है ।
- **राजकोषीय प्रबंधन :-** बिहार उन राज्यों में एक है जिसने राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया है एवं एफ०आर०बी०एम० अधिनियम को सही मायने में लागू किया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3 प्रतिशत निर्धारित है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित अनुमान में

राजकोषीय घाटा 8.55 प्रतिशत प्रदर्शित हो रहा है परन्तु वर्ष के अन्तिम माह में प्रत्यर्पण के पश्चात् इसे 3 प्रतिशत की अधिसीमा में लाया जाएगा ।

➤ **निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) :-** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से एक निक्षेप निधि का गठन किया गया है जिससे ऋण के भुगतान के लिए राशि वैसे वर्षों में उपलब्ध हो सकेगी जिन वर्षों में ऋण भुगतान के लिए राज्य के पास राशि की उपलब्धता किसी कारण से नहीं हो। वर्ष 2013-14 के अन्त तक निवेशित राशि में प्राप्त ब्याज को जोड़ते हुए कुल 1630.18 करोड़ रुपये का निक्षेप निधि कोष बना है । वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा 435 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा । वर्ष 2015-16 में 491.84 करोड़ रुपये का बजट उपबंध निक्षेप निधि में निवेश के लिए किया गया है ।

➤ **स्थानीय निकायों की बजट पुस्तिका :-** 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि की विवरणी के लिए अलग से एक बजट पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उक्त पुस्तिका में स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान की राशि को प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक जिला के स्थानीय निकायों को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है यह उक्त पुस्तिका में अंकित है ।

अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :- वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाए ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के लाभ के लिए ही किया जाए और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 10006.92 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की गई है । विभागवार प्रावधानित की गयी राशि का विवरण “बजट का सार” पुस्तिका के पृष्ठ 19 पर देखा जा सकता है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 881.99 करोड़ रुपये प्रावधानित की गई है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रावधानित की गई है । विभागवार प्रावधानित की गयी राशि का विवरण “बजट का सार” पुस्तिका के पृष्ठ 20 पर देखा जा सकता है ।

- **शिक्षा प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2015-16 में 22027.97 करोड़ रु0 प्रस्तावित हैं जिसमें राज्य योजना में 10950.14 करोड़ रुपये एवं गैर-योजना मद में 11077.83 करोड़ रुपये प्रस्तावित है ।
- **स्वास्थ्य प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2015-16 में 4971.67 करोड़ रु0 प्रस्तावित हैं जिसमें राज्य योजना मद में 2362.99 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना मद में 2608.67 करोड़ रुपये प्रस्तावित है ।
- **सड़क प्रक्षेत्र :-** पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं । इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 12616.17 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत मद में 1703 करोड़ रुपये अनुमानित है ।
- **कल्याण प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित विभागों द्वारा 3772.20 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है

प्रमुख विभागवार राज्य योजना उद्ब्यय (2015-16) इस प्रकार है:-

क्रम सं०	विभाग का नाम	योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रतिशत
1	शिक्षा	10950.14	19.16
2	ग्रामीण कार्य	5612.30	9.82
3	ग्रामीण विकास	5420.13	9.49

4	पथ निर्माण	4856.22	8.50
5	समाज कल्याण	4132.77	7.23
6	ऊर्जा	4058.60	7.10
7	स्वास्थ्य	2372.00	4.15
8	कृषि	2342.35	4.10
9	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण	2121.63	3.71
10	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1970.03	3.45
11	अन्य विभाग	13301.45	23.28
	योग	57137.62	100.00

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 का कुल बजट अनुमान 120685.32 करोड़ रुपये है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान 116886.16 करोड़ रुपये से 3799.16 करोड़ रुपये अधिक है ।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय का बजट अनुमान 63259.59 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान 59231.04 करोड़ रुपये से 4028.55 करोड़ रुपये अधिक है ।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 का राज्य योजना का कुल बजट अनुमान 57137.62 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान 57392.44 करोड़ रुपये से 254.82 करोड़ रुपये कम है ।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये 288.11 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान 262.68 करोड़ रुपये से 25.43 करोड़ रुपये अधिक है ।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल पूंजीगत परिव्यय 24853.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान 21151.35 करोड़ रुपये से 3701.65 करोड़ रुपये अधिक है ।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 103189.06 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के 101939.46 करोड़ रुपये से 1249.60 करोड़ रुपये अधिक है ।

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 30875.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के

बजट अनुमान **25662.95** करोड़ रुपये की तुलना में 5212.05 करोड़ रुपये अधिक है।

8. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में **3395.86** करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें झारखण्ड से 1600 करोड़ रुपये पेंशन मद में प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान **3081.68** करोड़ रुपये की तुलना में 314.18 करोड़ रुपये अधिक है ।

9. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य को केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में **50747.58** करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान **41775.05** करोड़ रुपये से 8972.53 करोड़ रुपये अधिक है ।

10. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में **18170.63** करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान **31419.78** करोड़ रुपये की तुलना में 13249.15 करोड़ रुपये कम है ।

11. वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय **63259.59** करोड़ रुपये एवं योजना व्यय **57425.73** करोड़ रुपये का है जो वर्ष 2015-16 के कुल व्यय 120685.32 करोड़ रुपये का क्रमशः 52.42 और 47.58 प्रतिशत है ।

12. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः **91208.11** करोड़ रुपये एवं **29477.21** करोड़ रुपये है जो कुल व्यय 120685.32 करोड़ रुपये का क्रमशः 75.58 एवं 24.42 प्रतिशत है ।

13. वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय क्रमशः **82391.82** करोड़ रुपये एवं **38293.50** करोड़ रुपये है जो कुल व्यय 120685.32 करोड़ रुपये का क्रमशः 68.28 एवं 31.72 प्रतिशत है ।

14. वित्तीय वर्ष 2015-16 में **11980.95** करोड़ रुपये राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 455451 करोड़ रुपये का 2.63 प्रतिशत है ।

15. वित्तीय वर्ष 2015-16 में 13584.46 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 455451 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है ।

16. वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक ऋण का अधिशेष 89239.87 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 455451 करोड़ रुपये का 19.58 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।

2015-16 के बजट अनुमान: संक्षिप्त विवरण

➤ कुल व्यय	: 120685.32 करोड़ रुपये
➤ कुल योजना व्यय	: 57425.73 करोड़ रुपये
राज्य योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना में केन्द्रीय सहायता सहित):	57137.62 करोड़ रुपये
केन्द्रीय योजनागत योजना	: 288.11 करोड़ रुपये
➤ कुल गैर योजना व्यय	: 63259.59 करोड़ रुपये
➤ कुल प्राप्तियां	: 120914.40 करोड़ रुपये
➤ राजस्व प्राप्तियां	: 103189.06 करोड़ रुपये
राज्य के कर राजस्व	: 30875.00 करोड़ रुपये
राज्य के गैर कर राजस्व	: 3395.86 करोड़ रुपये
केन्द्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा	: 50747.58 करोड़ रुपये
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	: 18170.63 करोड़ रुपये
➤ पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	: 17725.33 करोड़ रुपये
(क) उधार	: 17708.81 करोड़ रुपये
(ख) कर्ज की वापसी	: 16.52 करोड़ रुपये
➤ कुल व्यय (क+ख)	: 120685.32 करोड़ रुपये
(क) राजस्व व्यय	: 91208.11 करोड़ रुपये
(ख) पूंजीगत व्यय	: 29477.21 करोड़ रुपये
➤ राजस्व बचत	: 11980.95 करोड़ रुपये (जी०एस०डी०पी० का 2.63%)

➤ राजकोषीय घाटा	: 13584.46 करोड़ रुपये (जी०एस०डी०पी० का 2.98%)
➤ राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत	
वाणिज्यकर	: 21375.00 करोड़ रुपये
उत्पाद शुल्क	: 4000.00 करोड़ रुपये
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	: 4000.00 करोड़ रुपये
परिवहन कर	: 1200.00 करोड़ रुपये
भू-राजस्व	: 300.00 करोड़ रुपये
➤ राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत	
झारखण्ड से दिनांक- 14.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गयी राशि में हिस्सा	: 1600.00 करोड़ रुपये
खनन	: 1000.00 करोड़ रुपये
सिंचाई	: 34.00 करोड़ रुपये
ब्याज प्राप्तियां	: 312.13 करोड़ रुपये
अन्य मदों में प्राप्तियाँ	: 449.73 करोड़ रुपये
➤ प्रतिबद्ध व्यय	
(I) वेतन (क) गैर योजना मद में	: 17757.90 करोड़ रुपये
(ख) योजना मद में	: 776.85 करोड़ रुपये
(II) पेंशन	: 12979.67 करोड़ रुपये
(III) ब्याज भुगतान	: 7220.77 करोड़ रुपये
(IV) लोक ऋण अदायगी	: 3895.28 करोड़ रुपये
कुल (I+ II+ III+ IV)	: 42630.47 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य विभागों/प्रक्षेत्रों में प्रावधानित राशि

राशि करोड़ रुपये में

क्र० सं०	विभाग/प्रक्षेत्र का नाम	योजना	गैर योजना	कुल राशि
1	शिक्षा विभाग	10950.14	11077.83	22027.97
2	उर्जा विभाग	4058.60	4378.30	8436.90
3	कल्याण प्रक्षेत्र	7651.22	300.18	7951.40
क)	समाज कल्याण	4118.77	60.43	4179.20
ख)	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग	1962.03	13.27	1975.30
ग)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	1284.12	213.40	1497.52
घ)	अल्पसंख्यक कल्याण	286.30	13.08	299.38
4	ग्रामीण कार्य विभाग	5612.30	1208.81	6821.11
5	गृह विभाग	451.51	5727.54	6179.05
6	पथ निर्माण विभाग	4856.22	938.84	5795.06
7	ग्रामीण विकास विभाग	4923.53	292.53	5216.06
8	स्वास्थ्य विभाग	2363.00	2608.67	4971.67
9	पंचायती राज विभाग	754.19	3610.13	4364.32
10	कृषि विभाग	2311.35	521.89	2833.24
11	अन्य विभाग	5842.46	32763.70	38606.16
कुल		57425.73	63728.60	121154.33

=====